भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2186

बुधवार, 02 अगस्त, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

विभिन्न योजनाएं

2186. श्री नव कुमार सरनीया:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(ख) मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 से अब तक राज्य सरकारों को आवंटित की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी) को वर्ष 2019 से अब तक विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत योजना-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है;
(घ) सरकार असम सहित विशेषकर उत्तर पूर्व राज्यों के लिए किन-किन मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित कर रही है;
(ङ) वर्ष 2019 से अब तक असम और अन्य राज्यों में स्थित चाय बागानों को सरकार द्वारा किन क्षेत्रों में और किन योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्रदान की गई है;
(च) क्या सरकार द्वारा देश के विभिन्न चाय बागानों को राजसहायता दी जाती है;
(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ज) देश के विभिन्न चाय बागानों में कीटनाशकों की आपूर्ति करने वाली कंपनियों के नाम क्या हैं?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सोम प्रकाश)

(क) और (ख): स्कीमों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

)i(<u>पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति (एनईआईआईपीपी), 2007</u>

पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति (एनईआईआईपीपी), 2007 पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति (एनईआईपी), 1997 का संशोधित संस्करण था और इसे उस क्षेत्र के औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 01.04.2007 से 31.03.2017 तक 10 वर्षों की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया था। यह स्कीम सिक्किम सहित 8 पूर्वोत्तर राज्यों को कवर करती है। यह स्कीम इस क्षेत्र में किसी भी स्थान पर स्थित नई और मौजूदा इकाइयों को औद्योगिक विस्तार करने के लिए प्रोत्साहन (विभिन्न घटकों के तहत) प्रदान करती है। स्कीम के तहत निधियां राज्य-वार आवंटित नहीं की जाती हैं।

)ii(**<u>मालभाड़ा सब्सिडी स्कीम, 2013 (एफएसएस)</u>**

औद्योगिक इकाइयों को उनके तैयार उत्पाद और कच्चे माल के परिवहन हेतु सब्सिडी प्रदान करने के संदर्भ में पहाड़ी, दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में औद्योगिकरण की प्रक्रिया को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मालभाड़ासब्सिडी स्कीम, (एफएसएस) 2013 को शुरू किया गया था तथा इसने परिवहन सब्सिडी स्कीम,

1971 (टीएसएस) को प्रतिस्थापित किया है। यह स्कीम सभी औद्योगिक इकाइयों (सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में रोपण, रिफाइनरी और विद्युत उत्पादन इकाइयों को छोड़कर चाहे उनका आकार कुछ भी हो) पर लागू है। इस स्कीम के अंतर्गत प्रोत्साहन सभी 8 पूर्वोत्तर राज्यों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल के दार्जलिंग जिले, अंडमान और निकोबार प्रशासन तथा लक्षद्वीप प्रशासन के लिए उपलब्ध है। एफएसएस, 2013 दिनांक 22.11.2016 से बंद कर दी गई है। इस स्कीम के तहत निधियां राज्य-वार आवंटित नहीं की जाती हैं।

)iii(**<u>पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास स्कीम (एनईआईडीएस), 2017</u>**

पूर्वोत्तर राज्यों में औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने तथा रोजगार और आय सृजन को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास स्कीम (एनईआईडीएस), 2017 नामक एक नई स्कीम को दिनांक 12.04.2018 को अधिसूचित किया गया है तथा दिनांक 01.04.2017 से 5 वर्षों की अवधि (दिनांक 31.03.2017 से एनईआईआईपीपी, 2007 के बंद होने के पश्चात) के लिए लागू है। इस स्कीम के तहत निधियां राज्य-वार आवंटित नहीं की जाती हैं।

)iv(**<u>औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम</u>**

औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम (आईआईयूएस)/ पुनर्निमित आईआईयूएस (आरआईआईयूएस)/ संशोधित आईआईयूएस (एमआईआईयूएस) एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है जिसे वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनने की क्षमता वाले चयनित कार्यशील क्लस्टरों/स्थानों पर गुणवत्ता पूर्ण अवसंरचना प्रदान करके घरेलू औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2003 में शुरू किया गया था। इस स्कीम को नई परियोजनाओं हेतु 31 मार्च, 2017 से बंद कर दिया गया है। तथापि दिनांक 31.03.2017 से पहले अनुमोदित परियोजनाओं ही कार्यान्वित की जा रही हैं।

)v(<u>औद्योगिक कॉरिडोर कार्यक्रम</u>

विभिन्न आर्थिक जोन को मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी अवसंरचना प्रदान करने के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के समग्र फ्रेमवर्क के भीतर प्रमुख परिवहन कॉरिडोर जैसे ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, एक्सप्रेस वे और राष्ट्रीय राजमार्ग, पत्तनों और हवाई अड्डों से निकटता आदि के आधार पर राष्ट्रीय कॉरिडोर कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है। वर्ष 2019 से राष्ट्रीय कॉरिडोर कार्यक्रम के तहत आवंटित निधियों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

)vi(<u>स्टार्टअप इंडिया पहल</u>

स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, स्टार्टअप के व्यवसाय चक्र के विभिन्न चरणों में पूंजी उपलब्ध कराने के लिए, सरकार स्टार्टअप्स हेतु निधियों का कोष (एफएफएस) और स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) को कार्यान्वित कर रही है। ये दोनों स्कीमें पूरे देश में लागू की गई हैं। स्टार्टअप्स हेतु निधियों का कोष स्कीम को जून 2016 में 10,000 करोड़ रूपए के कॉर्पस के साथ अनुमोदित और स्थापित किया गया था जिसे कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर 14वें और 15वें वित्तीय आयोग के कार्यकाल में उपलब्ध कराया जाना है, ताकि भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को अत्यावश्यक बढ़ावा दिया जा सके और वे घरेलू पूंजी तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम हो सकें। इस स्कीम का संचालन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा किया जा रहा है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को 945 करोड़ रूपए के कॉर्पस के साथ वर्ष 2021-22 से 4 वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया है। इस स्कीम का उद्देश्य स्टार्टअप्स

को अवधारणा के साक्ष्य, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार प्रवेश और वाणिज्यीकरण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। यह स्कीम 1 अप्रैल, 2021 से कार्यान्वित की गई है।

)vii(भाग-2 के तहत विशेष सहायता स्कीम (पीएम गतिशक्ति संबंधी व्यय हेतु)

पीएम गतिशक्ति को वर्ष 2021 में शुरू किया गया था। वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने 'वर्ष 2022-23 के लिए पूंजी निवेश हेतु "राज्यों को विशेष सहायता स्कीम" के भाग-2 के माध्यम से राज्यों को शून्य ब्याजदर पर दीर्घावधि ऋण के रूप में संवितरण हेतु 5000 करोड़ रूपये का अतिरिक्त प्रावधान किया है। निधियों का राज्य-वार आवंटन **अनुबंध-।।** में दिया गया है।

(viii) औद्योगिक विकास स्कीम, 2017 और जम्मू और कश्मीर के लिए केंद्रीय क्षेत्र की नई स्कीम

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए औद्योगिक विकास स्कीम (आईडीएस), 2017, दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2022 तक मान्य है और आईडीएस, 2017 संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के लिए दिनांक 15.06.2017 से 31.03.2021 तक मान्य है। जम्मू-कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की नई स्कीम दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2037 तक मान्य है। इस स्कीम के अंतर्गत राज्य-वार निधियां आबंटित नहीं की जाती हैं।

(ix) भारतीय फुटवियर और चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएफएलडीपी)

केंद्र सरकार ने 31.03.2026 तक या अगली समीक्षा तक, जो भी पहले हो, 1700 करोड़ रुपये के आवंटन से छह उप-योजनाओं सहित केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम 'भारतीय फुटवियर और चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएफएलडीपी)' को मंजूरी दी है। इस स्कीम से चमड़ा और फुटवियर क्षेत्र के लिए अवसंरचना का विकास होगा, चमड़ा और फुटवियर क्षेत्र के लिए विशिष्ट पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर किया जाएगा, अतिरिक्त निवेश की सुविधा मिलेगी, रोजगार सृजन होगा और उत्पादन में वृद्धि होगी। इस स्कीम के अंतर्गत राज्य-वार निधियां आबंटित नहीं की जाती हैं।

)x(निर्यात हेतु व्यापार और अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस)

वाणिज्य विभाग, निर्यातों में वृद्धि के लिए समुचित अवसंरचना के सृजन में केंद्र सरकार की एजेंसियों और राज्य सरकार की एजेंसियों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2017-18 से निर्यात हेतु व्यापार और अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस) कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम का उद्देश्य निर्यात अवसंरचना की कमियों को दूर करके, फोकस्ड निर्यात अवसंरचना के सृजन, निर्यातोन्मुख परियोजनाओं के लिए शुरू से आखिर तक कनेक्टिविटी तथा गुणवत्ता और प्रमाणन उपायों को अपनाकर निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। टीआईईएस के तहत निर्यात अवसंरचना की स्थापना अथवा उन्नयन के लिए सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

)xi(बाजार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीम

बाजार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीम, जो कि केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम है, के अंतर्गत क्षमता निर्माण, बाजार अध्ययन, प्रचार-प्रसार अभियान, भारत और विदेशों में मेलों/प्रदर्शनियों/क्रेता-विक्रेता बैठकों में भागीदारी, विदेशों में सांविधिक अनुपालनों पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति आदि जैसे निर्यात संवर्धन/सुविधाप्रदायक कार्यकलाप के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी), पण्य बोर्डों, व्यापार निकायों

आदि को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विशिष्ट निधियों के आबंटन का प्रावधान नहीं है।

(xii) चाय, कॉफी, रबड़ और मसालों से संबंधित स्कीमें

बागान प्रभाग, डीओसी- चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड, रबड़ बोर्ड और मसाला बोर्ड के तहत पण्य बोर्ड द्वारा क्रमश: चाय, कॉफी, रबड़ और मसालों के क्षेत्रों के विकास के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

क्र. सं.	**बोर्ड**	**स्कीमें**
1	चाय बोर्ड	चाय विकास और संवर्धन स्कीम
2	कॉफी बोर्ड	एकीकृत कॉफी विकास परियोजना
3	रबड़ बोर्ड	प्राकृतिक रबड़ क्षेत्र का सतत और समावेशी विकास
4	मसाला बोर्ड	मसालों के निर्यात संवर्धन और गुणवत्ता सुधार तथा इलायची के अनुसंधान और विकास के लिए एकीकृत स्कीम

(ग) : वर्ष 2019 से अब तक, विभिन्न स्कीमों के तहत बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी) के लिए कोई निधि आबंटित नहीं की गई है।

(घ) : सरकार, असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष रूप से एनईआईआईपीपी, **2007**, एफएसएस, **2013** और एनईआईडीएस, **2017** पर फोकस कर रही है। इनका ब्यौरा उपर्युक्त उत्तर के पैरा (i), (ii) और (iii) के तहत दिया गया है। आईएफएलडीपी की सतत प्रौद्योगिकी और पर्यावरणीय संवर्धन (एसटीईपी) उप-स्कीम के तहत केंद्रीय सहायता अन्य क्षेत्रों के लिए 70 प्रतिशत की तुलना में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए कुल परियोजना लागत का 80 प्रतिशत है तथा उद्योग/लाभार्थी का हिस्सा पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए परियोजना लागत का 20 प्रतिशत और अन्य क्षेत्रों के लिए 30 प्रतिशत है। इसी प्रकार, आईएफएलडीपी की चमड़ा क्षेत्र का एकीकृत विकास उप-स्कीम के अंतर्गत, अन्य क्षेत्रों की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) इकाइयों के लिए 30 प्रतिशत और अन्य इकाइयों के लिए 20 प्रतिशत की तुलना में पूर्वोत्तर क्षेत्रों की एमएसएमई इकाइयों को संयंत्र एवं मशीनरी की लागत के 40 प्रतिशत तक और अन्य इकाइयों को संयंत्र एवं मशीनरी की लागत के 30 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता दी जाती है। आईएफएलडीपी की मेगा चमड़ा फुटवियर और सहायक सामग्री क्लस्टर विकास उप-स्कीम के अंतर्गत, भारत सरकार की सहायता अन्य क्षेत्रों के लिए परियोजना लागत के 50 प्रतिशत की तुलना में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए परियोजना लागत के 70 प्रतिशत तक है। चाय बोर्ड द्वारा कार्यान्वित चाय विकास और संवर्धन स्कीम में 'पूर्वोत्तर के लिए नीति फोरम हेतु क्षेत्र विशिष्ट कार्य योजना' नामक एक अलग घटक है।

(ड.) : चाय बोर्ड ने वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक कार्यान्वित 'चाय विकास और संवर्धन स्कीम' के तहत, असम सहित विभिन्न चाय उत्पादक राज्यों में चाय क्षेत्र के सभी हितधारकों को सहायता प्रदान की है। स्कीम के घटक इस प्रकार हैं: चाय बागान विकास, गुणवत्ता उन्नयन और उत्पाद विविधता, बाजार संवर्धन (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय), अनुसंधान और विकास, मानव संसाधन विकास, राष्ट्रीय चाय विनियमन कार्यक्रम और स्थापना व्यय। वर्ष 2021-22 के बाद से विभिन्न चाय उत्पादक राज्यों में चाय बोर्ड द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे इस स्कीम के घटक हैं: छोटे चाय उत्पादकों के लिए बागान विकास, पूर्वोत्तर के लिए नीति फोरम हेतु क्षेत्र

विशिष्ट कार्य योजना, बाजार विपणन, कामगारों का कल्याण ((छोटे चाय उत्पादकों के कर्मचारी), अनुसंधान और विकास, विनियामक कार्य और नीलामी सुधार तथा स्थापना व्यय।

(च) और (छ) : चाय विकास और संवर्धन स्कीम के तहत, चाय विकास और संवर्धन स्कीम के अंतर्गत, चाय बोर्ड देश में चाय बागानों/उत्पादकों को पुन:रोपण, प्रतिस्थापन रोपण, नए रोपण, कायाकल्प, सिंचाई, क्षेत्र मशीनीकरण, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन) को सामान्य सुविधाएं, जैविक प्रमाणन, जैविक रूपांतरण और जैविक कृषि उत्पादन की बागान विकास गतिविधियों के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करता है। चाय बागानों/उत्पादकों को वित्तीय सहायता का ब्यौरा निम्नानुसार है:

2021-22		**2022-23**		**2023-24 (30.06.2023 तक)**		**कुल**	
राशि करोड़ रुपए में	**लाभार्थियों की संख्या**	**राशि करोड़ रुपए में**	**लाभार्थियों की संख्या**	**राशि करोड़ रुपए में**	**लाभार्थियों की संख्या**	**राशि करोड़ रुपए में**	**लाभार्थियों की संख्या**
44.20	4203	17.95	14200	1.02	840	63.17	19243

स्रोत: चाय बोर्ड

(ज) : चाय बोर्ड ने सूचित किया है कि विभिन्न चाय बागानों को कीटनाशक की आपूर्ति करने वाली प्रमुख कंपनियों कोर्टेवा एग्रीसाइंस प्रा.लि., जीवाग्रो लि., बायोस्टेड इंडिया लि., उर्वरधरा रसायम, बेयर क्रॉप साइंस लि., सुमितोमो कैमिकल इंडिया प्रा.लि., सिनजेंटा इंडिया लि., इंसेक्टिसाइड्स (इंडिया) लिमिटेड, यूपीएल लि., गेसिन पियरे प्रा.लि., धनुका एग्रीटेक, पी जे मार्गो प्रा.लि., इंडोफिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रैलिस इंडिया लिमिटेड और पी आई इंडस्ट्रीज़ लि. हैं।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 02.08.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2186 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

औद्योगिक कॉरिडोर कार्यक्रम के तहत वर्ष 2019 से अब तक राज्य सरकार (सरकारों) को आबंटित निधियों का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	आंध्र प्रदेश	गुजरात	हरियाणा	कर्नाटक	केरल	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	पंजाब	राजस्थान	तमिलनाडु	उत्तर प्रदेश	उत्तराखंड	कुल योग
2018-2019	2.5	451.33	191.67	2.5		50	300						998
2019-2020		269.85	8.15			50	500						828
2020-21	450.72	556.4	3.23	584.24		28	747.3			2.5			2372.39
2021-22	68.88	232.89			2.5						853.05		1157.32
2022-23	11.76		100					2.5	4.9			2.5	121.66
2023-24 (26 जुलाई, 2023 तक)			3.58										3.58
कुल योग	533.86	1510.47	306.63	586.74	2.5	128	1547.3	2.5	4.9	2.5	853.05	2.5	5480.95

*****

अनुबंध II

दिनांक 02.08.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2186 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

भाग-2 (पीएम-गतिशक्ति से संबंधित व्यय के लिए) के अंतर्गत, विशेष सहायता स्कीम के तहत आबंटित निधि का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य	एससीए के भाग II के तहत वित्तीय आबंटन (करोड़ रुपए में)	क्या निधि स्वीकृत की गई है	
			संस्तुत निधि का मूल्य (करोड़ रुपए में)	डीओई द्वारा वास्तव में संवितरित निधि (करोड़ रुपए में)
1	आंध्र प्रदेश	202.00	202.00	202.00
2	असम	156.00	156.00	156.00
3	बिहार	503.00	515.49	502.92
4	छत्तीसगढ़	170.00	168.42	168.42
5	गोवा	19.00	19.00	19.00
6	गुजरात	174.00	174.00	174.00
7	हरियाणा	55.00	55.00	55.00
8	झारखंड	165.00	165.00	165.00
9	कर्नाटक	182.00	182.00	182.00
10	केरल	96.00	96.00	96.00
11	महाराष्ट्र	316.00	316.00	316.00
12	मणिपुर*	36.00	38.72	36.00
13	मेघालय	38.00	38.00	38.00
14	मिजोरम*	25.00	38.86	25.00
15	एमपी	393.00	584.45	393.00
16	नागालैंड*	28.00	35.00	28.43
17	ओडिशा	**226.00**	**226.00**	
18	पंजाब	90.00	90.00	90.00
19	राजस्थान	301.00	301.00	301.00
20	सिक्किम	19.00	41.00	19.00
21	तमिलनाडु	204.00	204.00	204.00
22	तेलंगाना	105.00	105.00	100.00
23	त्रिपुरा	35.00	35.00	35.00
24	उत्तराखंड*	56.00	110.72	56.00
25	उत्तर प्रदेश	897.00	952.00	896.91
26	पश्चिम बंगाल	376.00	517.36	376.00
27	हिमाचल प्रदेश	42.00	42.00	42.00
28	अरुणाचल प्रदेश	88.00	87.85	87.85
		कुल	**5495.87**	**4764.53**

*****